

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज / सामान्य / 2009 / 901

दिनांक : 21.12.2009

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों जिनके स्थानान्तरण समस्याक आदेश दिनांक 10.09.09 एवं 22.10.09 के द्वारा किये गये हैं, उनके स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बन्ध में अकित विवरण के अनुसार निरस्त / संशोधित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद	विवरण
1	जोगाराम पुरोहित	नर्स-2	उपकेन्द्र, चितलवाना, जालोर से मु.चि.एवं स्वा.अ., सिराही के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जालोर के अधीन सिराही पद पर किया जाता है।
2	सतपाल सिंह	नर्स-2	सा.स्वा.के., रायसिनगर, गंगानगर से सामा.चिकि., चुरु किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., गंगानगर के अधीन किया जाता है।
3	दमधान्ति राजन	एनएम	उपकेन्द्र, बमबाला, से उपकेन्द्र, सिराही, टोक किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जयपुर द्वितीय के अधीन किया जाता है।
4	सुनिता रावत	एनएम	सा.स्वा.के., डेगाना, नागोर से मु.चि.एवं स्वा.अ., चुरु के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
5	राजशी	एनएम	प्रा.स्वा.के., बगवाडी से उपकेन्द्र, दतपुरा, सीकर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., जयपुर प्रथम के अधीन किया जाता है।
6	सुशील कुमार	नर्स-2	प्रा.स्वा.के., कनेछनकला, भीलवाडा से जेलएन चिकि., अजमेर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
7	मीना उदयवाल	एनएम	प्रा.स्वा.के., साबोरा, भरतपुर से मु.चि.एवं स्वा.अ., धोलपुर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., भरतपुर के अधीन किया जाता है।
8	इमरान कुरेशी	क.लि.	प्रा.स्वा.के., पापडदा, दौसा से सा.स्वा.के., जमवारामगढ़ किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर एसएमएस चिकि., जयपुर में किया जाता है।
9	ओम प्रकाश चोधरी	नर्स-2	सा.स्वा.के., दृढ़, जयपुर से मु.चि.एवं स्वा.अ., बीकानेर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
10	प्रदीप कुमार भाटी	क.लि.	मु.चि.एवं स्वा.अ., अजमेर से मु.चि.एवं स्वा.अ., भीलवाडा के अधीन किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर मु.चि.एवं स्वा.अ., अजमेर के अधीन सिर पद पर किया जाता है।

- संविदा / रिवर्स डेपुटेशन / एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी / ग्रामीण नर्स-2/ ग्रामीण लैब टेक्नीकी / ग्रामीण एनएम के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कियान्वित नहीं होगी। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण की कियान्वित नहीं की जावे। कार्यमुक्त करने वाले / कार्यप्रहण करने वाले अधिकारी का यह वायित्व होगा कि वे इस शर्त की पालना सुनिश्चित करें।
- जिन कर्मचारियों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन / समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने जिले में रिक्त पद पर किया जावेगा।

9/1/2011

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान जयपुर

दिनांक : 21.12.2009

क्रमांक : अराज / सामान्य / 2009 / 901

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
 - निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
 - निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
 - निदेशक, जनस्वास्थ्य / प.क. / एड्स / आईसी / ईएसआई / भंगणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
 - संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडीफल कोलेज, राजस्थान।
 - संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- राजस्थान।

7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. संबंधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
11. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबंधित अधिकारी।
13. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

०५
२१/१२

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर